**न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द**
**(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री कुशल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या :—01 / 2020 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम / नियम)
GCMS NO :—2020 / 00008
दायर दिनांक :—17.03.2020
निर्णय दिनांक :—10.03.2021

<u>अनवान</u>

राज्य सरकार जरिये श्री रमेशचंन्द्र सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

— प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद वर्मा ( विकेता एवं मैनेजर फर्म ) मैसर्स आधार सुपर मार्केट (फ्यूचर रिटेल लिमिटेड), नाथद्वारा रोड, टीवीएस चौराहा, कांकरोली राजसमन्द।
2. बनवारी लाल शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा जाति शर्मा(विकेता फर्म नोमिनी) मैसर्स आधार सुपर मार्केट (फ्यूचर रिटेल लिमिटेड), नाथद्वारा रोड, टीवीएस चौराहा, कांकरोली राजसमन्द।
3. मैसर्स आधार सुपर मार्केट (फ्यूचर रिटेल लिमिटेड), नाथद्वारा रोड, टीवीएस चौराहा, कांकरोली राजसमन्द।
4. मैसर्स आधार होलसेल ट्रेडिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड, खसरा नं. 2290, 2091 गांव दहमीकलां, बगरू, जयपुर राजस्थान।
5. फ्यूचर कंजूमर लिमिटेड, एफएमसीजी—डीसी—कुलाना (पीबी)ए ए डीवाईवी, ऑफ एफसीएल (एफएमसीजी), खसरा नं. 110 / 2 (1—19), गांव कुलाना, पोस्ट पटुदा, तहसील एवं जिला झज्जर, कुलाना, हरियाणा—124108

— विपक्षी

**अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011**

0 <u>निर्णय</u> 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / एफएसएसए /नोटिफिकेशन/ 2011 / 727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण में श्री रमेशचंन्द्र सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर मिसब्राण्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी श्री राजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद वर्मा ( विकेता एवं मैनेजर फर्म ) मैसर्स आधार सुपर मार्केट (फ्यूचर रिटेल लिमिटेड), नाथद्वारा रोड, टीवीएस चौराहा,कांकरोली जिला राजसमन्द जो की फर्म मैनेजर है। तथा इनकी फर्म मैसर्स आधार

सुपर मार्केट (फ्यूचर रिटेल लिमिटेड), नाथद्वारा रोड, टीवीएस चौराहा,कांकरोली जिला राजसमन्द पर दिनांक 12.03.2019 को समय 06.30 पी0एम0 पर वास्ते चेकिंग पहूंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश किया । वक्त निरीक्षण उक्त फर्म पर के पास खाद्य पदार्थ चाय पत्ती पैक्ड (पंचामृत) के लगभग 7--8 किलोग्राम 250-250 ग्राम के पॉली पैक में आम जनता के लिए विक्रय हेतू रखे हुऐ थे। इसमें मिलावट का शक होने पर 02 किलोग्राम खाद्य पदार्थ चाय पत्ती पैक्ड (पंचामृत) वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 650/- रूपये विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ चाय पत्ती पैक्ड (पंचामृत) के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा चाय पत्ती पैक्ड (पंचामृत) को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना पर अलग-2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई -877 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पर अंकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक मुचिअ./एफएसएसए/2019/1158 दिनांक 01.05.2019 के द्वारा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/ 166/एक्ट/2019/190 दिनांक 10.04.2018 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना चाय पत्ती पैक्ड (पंचामृत) मिसब्राण्ड होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी,राजसमन्द ने दिनांक 11.03.2020 को अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं

मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युतर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर सें अधिवक्ता द्वारा जवाब/लिखित बहस पेश की गई ।

पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब/लिखित बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का चाय पत्ती पैक्ड (पंचामृत) मिसब्राण्ड होना पाया गया। अतः अभियुक्तों ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम–2006, नियम–2011 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a)(B)(ii)(C)(i) खाद्य पदार्थ चाय पत्ती पैक्ड (पंचामृत) मिसब्राण्डेड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (II) का उल्लंधन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध होने से विपक्षी 1. राजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद वर्मा ( विक्रेता एवं मैनेजर फर्म ) मैसर्स आधार सुपर मार्केट (फ्यूचर रिटेल लिमिटेड), नाथद्वारा रोड, टीवीएस चौराहा, कांकरोली राजसमन्द, 2. बनवारी लाल शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा जाति शर्मा(विक्रेता फर्म नोमिनी) मैसर्स आधार सुपर मार्केट (फ्यूचर रिटेल लिमिटेड), नाथद्वारा रोड, टीवीएस चौराहा, कांकरोली राजसमन्द, 3. मैसर्स आधार सुपर मार्केट (फ्यूचर रिटेल लिमिटेड), नाथद्वारा रोड, टीवीएस चौराहा, कांकरोली राजसमन्द, 4. मैसर्स आधार होलसेल ट्रेडिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड, खसरा नं. 2290, 2091 गांव दहमीकलां, बगरू, जयपुर राजस्थान एवं 5. फ्यूचर कंजूमर लिमिटेड, एफएमसीजी–डीसी–कुलाना (पीबी)ए ए डीवाईवी, ऑफ एफसीएल (एफएमसीजी), खसरा नं. 110/2 (1–19), गांव कुलाना, पोस्ट पटुदा, तहसील एवं जिला झज्जर, कुलाना, हरियाणा–124108 पर कुल राशि 25,000/– रूपये (अक्षरे रूपया पच्चीस हजार रूपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थो मे किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी,एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द

(कुशल कुमार कोठारी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द